भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 280

05.02.2024 को उत्तर के लिए

रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरीफायर पर रोक

280. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण के अनेक विशेषज्ञ और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) जैसे संगठन रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्रणाली, जिसके परिणामस्वरूप लगभग सत्तर प्रतिशत जल की बर्बादी होती है, के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की वकालत करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्रणाली के विकल्प के रूप में किन्हीं अन्य वैकल्पिक और लागत प्रभावी वाटर फिल्टर प्रौद्योगिकियों की सिफारिश की जा रही है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने "फ्रेंड्स थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी बनाम जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के ओ.ए. सं. 134/2015 के मामले में दिनांक 20.05.2019 के आदेश द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) को निदेश दिया था कि वह रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शुद्धिकरण प्रणाली के उचित उपयोग के संबंध में विनियम लाए। तदनुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जल शुद्धिकरण प्रणाली (उपयोग के संबंध में विनियम) नियम, 2023 प्रकाशित किए हैं। इन नियमों में, इन प्रणालियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जल तथा अवशिष्ट पदार्थों के उचित प्रबंधन, भण्डारण एवं उपयोग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये नियम दिनांक 10.11.2023 को प्रकाशित किए गए थे, और दिनांक 10.11.2024 से प्रभावी होंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने दिनांक 16.03.2023 को "आईएस 16240:2023 पीने के प्रयोजन से रिवर्स ऑस्मोसिस आधारित जल शोधन प्रणाली के उपयोग - विनिर्देश (प्रथम संशोधन)" भी अधिसूचित किया है।

*****